शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आरटीई/ 3117 भोपाल, दिनांक 8.6.21

प्रति,

1. समस्त ज़िला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक,मध्यप्रदेश

विषयः—शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं सत्र 2020-21 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबध में।

सन्दर्भः—राज्य शासन का पत्र कंमाक एफ.44—3/2019/20—2/418 भोपाल दिनांक 04.03.2020

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में उक्त प्रवेश की प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सीटों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है।

आवेदक द्वारा उसके ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रर्दशित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जायेगा। इसके पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको से अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

इस ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया को प्रारंभ करने के पूर्व सन्दर्भित पत्र के माध्यम से कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये है। इसी अनुक्रम में प्रवेश प्रकिया प्रारंभ करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैंः—

1. **प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेजः—**

1.1 **प्रवेश के लिये पात्रताः—**

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 12(1)(ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित होः—

03/06/2021

वंचित समूहः–

- अनुसूचित जाति,
- अनूसूचित जनजाति,
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,
- विमुक्त जाति
- निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
- HIV ग्रस्त बच्चे

कमजोर वर्गः–

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
- अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
- **कोविड–19 से माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही । इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होगेः–**

1 परिवार से अभिप्राय पति–पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है,

2 माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या

3 माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या

4 माता–पिता में से किसी एक का पूर्व मे निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड–19 से मृत्यु हुई है।

5 कोविड–19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।

6 बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

1.2 प्रवेश के लिये निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक होंगेः–

1.2.1 वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाणः–

वंचित समूह

वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रांरभिक

दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है–बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया,कुचबंदिया, बिजोरिया,कबूतरी,सन्धिया,पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।

बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

कोविड–19 से माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही।

कमजोर वर्ग

- कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान मे वैध BPL कार्ड/अंत्योदय कार्ड, बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले का बना है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा।
- शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- राज्य शासन द्वारा कोविड–19 से माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश कंमाक 1373/2021/50–2 भोपाल दिनांक 21.05.2021 एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र कंमाक/राशिके/आरटीई/2021/3039 भोपाल दिनांक 01.06.2021 की प्रतियॉ संलग्न है।

1.2.2 निवास का प्रमाण पत्र :–

ग्राम अथवा वार्ड/पड़ोस/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगेः–

- मतदाता परिचय पत्र,
- राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची,
- ग्रामीण क्षेत्र का जाबॅ कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल,

3/06/2021

- कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें।

1.3 **उम्र के संबंध मे प्रमाण पत्रः– आयु के संबंध मे निम्नानुसार पात्रता होगी**

कंमाक	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु
1	नर्सरी/के.जी.–1/के.जी–2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष
2	कक्षा–1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05+से 07वर्ष	

आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में अपात्र माना जायेगा।

अः– सत्र 2021–22 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना **दिनांक 16 जून 2021** की स्थिति में की जायेगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये।

बः– चूँकि कोविड–19 के कारण इस प्रावधान के तहत सत्र 2020–21 के प्रवेश नही हो पाये थे परन्तु इस प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020–21 हेतु पात्र थे उस समय पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके इसको ध्यान में रखते हुये जिन आवेदको द्वारा सत्र 2020–21 हेतु आवेदन किये जायेगे उनकी आयु की गणना **दिनांक 16 जून 2020** की स्थिति से की जावेगी।

सः– सत्र 2020–21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक को यह स्पष्ट अवगत कराया जाये कि उक्त सत्र में बच्चें को आवटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी। अर्थात प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2021–22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही संबंधित अशासकीय स्कूल को की जायेगी।

उदाहरणार्थः–1 रोहन के पालक उसे सत्र 2020–21 की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया से दर्ज कराना चाहते है, उसकी उम्र 16 जून 2020 की स्थिति में 05 वर्ष पूर्ण है उसका प्रवेश 2020–21 के सत्र के लिए कक्षा एक में होगा। यह प्रवेश नोशनल (Notional) होगा वह वास्तविक रूप से कक्षा 01 से उत्तीण मानकर सत्र 2021–22 में कक्षा 2 में अध्ययन करेगा।

उदाहरणार्थः–2 सुजाता की उम्र 03 वर्ष पूर्ण है उसके पालक द्वारा उसे सत्र 2020–21 के कोटे से प्रवेश लेना चाहते है उसकी नोशनल (Notional) प्रवेश कक्षा नर्सरी हेतु होगी और वास्तविक रूप से वह केजी–1 से अध्ययन करेगी।

जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नानुसार होगेः–

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- जहां जन्म,मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों

मे से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ(ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,

(ख) आंगनवाडी का रिकार्ड,

(ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र

बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रधिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

2. **प्रचार प्रसारः–**

2.1 अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेब साइट,नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलो पर विज्ञापन द्वारा प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायें। इसके अतिरिक्त जिला/विकासखंड/संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाये, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें।

2.2 अधिनियम के इस प्रावधान के संबध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को उन्हे अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाये।

3. **निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल वार तथा कक्षावार निःशुल्क आरक्षित सीटों का प्रर्दशनः–**

3.1 आवेदक के ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस में स्थित अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें (शालावार/कक्षावार) की जानकारी आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

3.2 यह जानकारी संबधित विकासखण्ड़ के जनपद शिक्षा केन्द्र (बीआरसी कार्यालय), जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में भी उपलब्ध हो। इसे कार्यालय में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चस्पा किया जायें।

4. **ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :–**

निःशुल्क प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होगे, ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नही होगे। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये।

आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते है।

4.1 आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड़ किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

03/06/2021

4.2 आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर जिसकी लिंक **http://rteportal.mp.gov.in** है, पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन अशासकीय स्कूल नही है तो तीन से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी।

4.3 आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भॉति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।

4.4 यदि किसी पालक का एक बच्चा किसी अशासकीय स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है एवं उस पालक के द्वारा अपने दूसरे बच्चे का उसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्राथमिकता देते हुये आवेदन किया जाता है, ऐसी स्थिति में पालक के लिये पूर्व में अध्ययनरत बच्चे के स्कूल में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विकल्प ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में रहेगा।

4.5 फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

4.6 ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।

4.7 ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नही कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मलित नही हो सकेगा।

4.8 आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि, आवेदन देने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबधित स्कूल के ग्राम/वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत है। ऑनलाइन आवेदन मे आवेदक ध्यान पूर्वक ही स्कूलो का प्राथमिकता कम दर्ज करें।

4.9 आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पॉवती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।

4.10 यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।

4.11 पूरी प्रक्रिया के दोरान गृह विभाग द्वारा कोविड–19 से संबधित आदेशो एवं कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पूर्ण पालन किया जाये।

5. आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्पः–

आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है, तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन मे जाकर त्रुटि सुधार कर सकते है। आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जायें कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो।

5.1 आर.टी.ई. पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एक पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा,इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेगे।

5.2 **आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नही करता है तो यह माना जायेगा कि आवदेक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**

5.4 सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आवेदन में त्रुटि सुधार नही हो सकेगा।

6 **ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेजो से सत्यापनः–**

6.1 ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा। इसकी 02 प्रति मे प्रिंट निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित सत्यापन केन्द्र पर जाकर माता–पिता/अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजो सत्यापन न कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। **कोविड–19 के संक्रमण तथा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये सत्यापन केन्द्र पर संबधित आवेदक बच्चों को लेकर जाने की आवश्यकता नही है माता–पिता/अभिभावक मूल दस्तावेज ले जाकर सत्यापन कराने जाये। सत्यापन के समय कोविड प्रोटोकाल जेसे एक साथ समूह में एकत्र न हो, मास्क लगाकर रखें तथा दूरी बनाकर रखें एवं सेनेटाइज करके जाये। बच्चों को किसी भी स्थिति में सत्यापन केन्द्र पर न ले जाये।**

6.2 सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर–1 पर ओटीपी आयेगा इसलिये सत्यापन केन्द्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाये जिससे सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन हो सके।

6.3 सत्यापन अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजो का आवेदक के मूल

दस्तावेजो से सत्यापन किया जायेगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा/निवास क्षेत्र/आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसको उस कोटा, आयु एवं निवास का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा।

6.4 सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जायेगा। सत्यापन केन्द्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप को लॉगिन करके देख ले यदि एप पर लॉगिन नही हो रहा है तो अपना पासवर्ड रिसेट कर ले। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से अपडेट करा लें।। मोबाइल एप से ही सत्यापन दर्ज किया जायेगा। यदि सत्यापन पंजीयन नही किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाये जानें पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

6.5 यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नही पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करना होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जायेगा।

6.6 सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के उपरांत सत्यापन होने की सूचना का एसएमएस प्राप्त होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि यह एसएमएस प्राप्त हो गया हो।

6.7 सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बी.आर.आर.सी. कार्यालय मे रिकार्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस अभिलेख को संबंधित बच्चे के रिकार्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

6.7 कोविड–19 से प्रभावित हुये अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः शत प्रतिशत बच्चों 8को सीट आवटित की जाना है अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाये जब सत्यापन कर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जॉच करने के उपरांत अनाथ होने से संबधित कारण से संतुष्ट नही हो इस संबंध में यदि कोई सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबधित विकासखंड के विकासखंड श्रोत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाये।

7. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन :–

सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाये अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन होगा।

7.1 सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की

पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी।

7.2 **कोविड–19 से माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना अर्न्तगत पंजीकृत आवेदको को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता होगी।**

8 आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करनाः–

ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेगे। आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. आवंटन पश्चात सत्यापन उपरांत पात्र बच्चों द्वारा प्रायवेट स्कूलों में जाकर प्रवेश ग्रहण करना एवं प्रायवेट स्कूल द्वारा पोर्टल पर रिपोर्टिग दर्ज करना :–

9.1 ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय सीमा में आवंटन पत्र की प्रति, आरटीई कोटा का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन में दर्ज दो पासपोर्ट फोटो ग्राफ लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चें के उपस्थित होने पर उसी दिवस स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग की जायेगी। जिन बच्चों को निर्धारित समयवाधि में एडमीशन रिपोर्टिंग संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जाती है उनका ही प्रवेश मान्य होगा।

9.2 आवंटित बच्चे के प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किया जाना पाया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त समस्त प्रकिया की समय सारणी परिशिष्ट–2 तथा परिशिष्ट–3 पर निर्धारित की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध मे आवेदको को मदद प्रदान करने हेतु विकासखंड एवं जिला स्तर पर एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क स्थापित की जाये। इनमें कार्यालयों के अधिकारियों के नाम एवं उनके दूरभाष की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की जाये। कृपया उक्त प्रकिया संबंधी निर्देश जिले में स्थित सभी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों को प्रेषित करते हुये तथा सत्यापन अधिकारियों का ऑनलाइन तरीके से प्रशिक्षण करते हुये समुचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से समयावधि में प्रवेश की कार्यवाही कोविड–19 के प्रोटोकाल का पूर्ण पालन करते हुये कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

03/08/2021

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठाकंन क्रंमाक/ 3118

भोपाल दिनांक 8.6.21

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग, भोपाल म.प्र.
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी,विध्याचंल भवन, म.प्र. भोपाल की ओर उक्तानुसार पोर्टल पर व्यवस्था के संबंध में।
9. श्री सुनील जैन, बरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एनआईसी, भोपाल की और उक्तानुसार पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था के संबंध में।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
13. विकासखंड श्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र ,समस्त विकासखंड म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत।

03/06/2021

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

सत्र 2021–22 निःशुल्क प्रवेश हेतु समय–सारणी

परिशिष्ट–2

क.	गतिविधियॉ	समय–सीमा
1	पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प	दिनांक 10–30 जून तक
2	ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना। सत्यापन अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजो से सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा। पात्र/अपात्र आवेदक का सत्यापन केन्द्र पर ही सत्यापन एप पर दर्ज किया जायेगा। सत्यापन पंजीयन पश्चात आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पात्र/अपात्र होने संबंधी एसएमएस भेजा जायेगा। सत्यापन उपरांत यदि आवेदक को अपात्र किया गया है तो एसएमएस में अपात्र किये जाने का कारण भी प्रर्दशित होगा।	दिनांक 14 जून से 01 जुलाई 2021 तक
4	**रेण्ड़म पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना।**	06 जुलाई 2021
5	जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना । प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। एडमीशन लेने के 15 दिवस में बच्चे का आधार सत्यापन करना अनिवार्य है।	06 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक
6	द्वितीय चरण लॉटरी हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रर्दशित किया जाना।	19 जुलाई 2021
7	द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना	19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक
8	द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन	28 जुलाई
9	जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना । प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। एडमीशन लेने के 15 दिवस में बच्चे का आधार सत्यापन करना अनिवार्य है।	28 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक

03/06/2021

सत्र 2020–21 निःशुल्क प्रवेश हेतु समय–सारणी

परिशिष्ट–3

क.	गतिविधियॉं	समय–सीमा
1	पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प	दिनांक 07–20 जुलाई 2021 तक
2	ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से सत्यापन केन्द्रों मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना। सत्यापन अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजो से सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा। पात्र/अपात्र आवेदक का सत्यापन केन्द्र पर ही सत्यापन एप पर दर्ज किया जायेगा। सत्यापन पंजीयन पश्चात आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पात्र/अपात्र होने संबंधी एसएमएस भेजा जायेगा। सत्यापन उपरांत यदि आवेदक को अपात्र किया गया है तो एसएमएस में अपात्र किये जाने का कारण भी प्रर्दशित होगा।	दिनांक 08–21 जुलाई 2021 तक
3	रेण्डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना।	26 जुलाई 2021
4	जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। एडमीशन लेने के 15 दिवस में बच्चे का आधार सत्यापन करना अनिवार्य है।	26 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक

03/06/2021

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C)के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी **English Capital** लेटर मे भरे

1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी **(अनिवार्य)**

2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी **(अनिवार्य)**

4. **पिता का समग्र आईडी**

5 माता का समग्र आईडी

3. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर (अनिवार्य)

B.प्रवेशार्थी के निवास एव संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर मे भरे

a) जिला.....
b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरनिगम .....
c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक ..... ग्राम/वार्ड.....
d) मोहल्ला/बसाहट.....
e) मकान एवं.....पता.....
f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1
g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2
h) ईमेल(यदि हो तो) .....

C. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता,अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर मे भरे

1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम
2) उपनाम (Surname)
3) जन्मतिथिDD/MM/YYYY दिनांक माह वर्ष
4) लिंग:- बालक / बालिका
5) पिता का नाम ..... माता का नाम .....
6) Caste- General/OBC/SC/ST----------

D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग:-श्रेणी का कोड दर्ज करें :-

1.वर्तमान स्थिति मे जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार(अन्तोदयकार्डधारी) 2.अनुसूचितजाति 3.अनुसूचितजनजाति 4.विमुक्तजाति 5.वनग्रामपटटाधारी 6.विकलांग(CWSN) 7. महिला एवं बालविकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथबच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे

उपरोक्त श्रेणीयों (उपरोक्त सरल कंमाक 7,8 को छोड़कर) के संबध मे शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारीप्रमाण पत्र का विवरण

(i) क्रमांक..... दिनांक माह वर्ष

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम----------

(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्कता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकंलागता का प्रतिशत%----------विकंलागता का प्रकार----------

(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्रमांक.....दिनांक माह वर्ष

(IV) **कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ** बच्चे का विवरण

बच्चे के माता–पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र

Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन कंमाक.....

माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु दिनांक माह वर्ष- 2021

E. प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी/ केजी-**1/** केजी **-2/** पहली(1) ----------

F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार हैः-

स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक	चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS--------)	प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)	आवेदक का भाई/बहिन क्या इस स्कूल में अध्ययनरत है यदि हॉ तो टिक करें	यदि कंमाक 4 में यदि विकल्प हॉ चुना जाता है तो क्या पालक इस बच्चे को भी इसी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु सहमत है। हॉ/नही
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही हैं। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, अन्य आवेदन नहीं किया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही के लिये में जिम्मेदार रहूंगा/रहूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक .....

हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान

(माता/पिता/अभिभावक) का नाम----------

आवश्यक सूचना-

1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नही है
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
3. आनलाइन आवेदन करने के पष्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नही होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम,माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी,आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजो से मिलान न होने की स्थिति मे आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र में मोबाइल नवर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है
7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांकः- 21/05/2021

-:आदेश:-

क्रमांक 1373 /2021/50-2: राज्य शासन एतद द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये "मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना" (संलग्न परिशिष्ट- क) की स्वीकृति दी जाती है।

यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

संलग्नः- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21/5

(जगदीश चन्द्र जटिया)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पत्र क्रमांक 1374 /2021/50-2 भोपाल दिनांक 21/05/2021

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा ।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग।
11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग।

//1//

13. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
15. कलेक्टर, समस्त मध्यप्रदेश।
16. सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
17. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास समस्त मध्यप्रदेश।
18. अनुभाग अधिकारी- 2 महिला एवं बाल विकास विभाग/गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/5

(जगदीश चन्द्र जटिया)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल कल्याण योजना

1. योजना का उद्देश्य

कोविड–19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता/पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चों को शासकीय सहायता दी जाने की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें।

2. योजना का विस्तार–

यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. परिभाषा –

3.1 परिवार से अभिप्राय पति–पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है,

3.2 बाल हितग्राही से अभिप्राय है ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो और जिनके –

3.2.1 माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या

3.2.2 माता–पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो; या

3.2.2 माता–पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड –19 से मृत्यु हुई है।

3.3 ''कोविड–19 से मृत्यु'' का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई ।

4. योजना के अर्न्तगत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि –

I. प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो;

II. परिवार को मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नही हो;

III. बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अर्न्तगत पेंशन पाने की पात्रता हो।

5. बाल हितग्राही, जिनके माता/पिता/अभिभावक की कोविड –19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये है, को निम्नांकित सहायता की पात्रता होगी –

5.1 आर्थिक सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को रुपये 5000/– प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी।

यदि बाल हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक व बच्चे के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके व्यक्तिगत खाते में राशि दी जाएगी।

5.2 खाद्यान्न सुरक्षा – प्रत्येक बाल हितग्राही तथा उपरोक्त कण्डिका 5.1 में नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत निःशुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। ऐसे परिवारों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पात्रता पर्ची जारी किये जाने हेतु जिला खाद्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी।

5.3 शिक्षा सहायता – शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी –

5.3.1 स्कूल शिक्षा – इस योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को अध्ययन हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाएगी––

1 .कक्षा 1 से 8 –

(अ) शासकीय विद्यालयों में बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

(ब) जो बाल हितग्राही निजी स्कूलों में RTE प्रावधान अंतर्गत अध्ययनरत हो या आगे होंगे, का शुल्क सीधे ही संबंधित स्कूल को प्रदाय किया जाएगा।

(स) यदि बाल हितग्राही RTE कोटे से पृथक निजी स्कूलों में अध्ययनरत हैं या होंगे उनका RTE प्रतिपूर्ति सीमा तक/ संबंधित बाल हितग्राही को राशि दी जाएगी।

2. कक्षा 9 से 12 –

(अ) शासकीय स्कूलों में बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

(ब) निजी स्कूल में अध्ययनरत बाल हितग्राही को रुपये 10000 प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी।

उपर्युक्त वित्तीय सहायता, बाल हितग्राही को सामान्य शासकीय योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ के अतिरिक्त होगी।

5.3.2 उच्च शिक्षा –

(i) उच्च शिक्षा के सामान्य पाठयक्रमों के लिये निम्नानुसार सहायता देय होगी –

केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रदेश में स्थित समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत बाल हितग्राही को निम्नानुसार सहायता दी जाएगी :–

(अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी ।बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा । समस्त शुल्क की संबन्धित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका– 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार–लिंक्ड बैंक खाते में की जाएगी।

(ii) तकनीकी शिक्षा –

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत स्नातक/पोलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार सहायता देय होगी –

(अ) बाल हितग्राही जो शासकीय/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है, द्वारा देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

(ब) बाल हितग्राही जो निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में जेईई मेन्स परीक्षा या पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेशित होने पर, उन्हें अधिकतम रूपये 1.50 लाख प्रतिवर्ष या वास्तविक देय शुल्क जो भी कम हो, राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

(स) बाल हितग्राही जो मध्यप्रदेश के उन निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में जहाँ स्नातक में प्रवेश 12 वीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर होता है उनका वास्तविक शुल्क या रूपये 75000 वार्षिक जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) चिकित्सा शिक्षा एवं आयुषः– जिन बाल हितग्राहियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन एवं निजी मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एबीबीएस/बीडीएस आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं युनानी (बी.ए. एम.एस/बी.यू.एम.एस/बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं म.प्र. में स्थित प्रायवेट मेडिकल/आयुष महाविद्यालय के एमबीबीएस/(बी.ए.एम.एस/बी.यू.एम.एस/बी.एच.एम. एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उनके द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते है, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जाएगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 02 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेगें और इस आशय के लिए बॉड रूपयें 10 लाख के रूप में निष्पादित करेगें। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 05 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

(iv) विधि शिक्षा :– CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के बाल हितग्राही द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के बाल हितग्राहियों द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

(vi) राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों

एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुये) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

(vii) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामडिकल साइंस के डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले बाल हितग्राही द्वारा देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

5.3.3 योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जाएगा तथा कॉशन मनी जमा कराने से भी छूट प्राप्त होगी।

5.3.4 इस योजना के अन्तर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

5.3.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

6 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थानिक सहायता –

18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बाल हितग्राही जिनका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नही है और जिनके जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नही है अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देखरेख करने का इच्छुक नही है। ऐसे बाल हितग्राही को संरक्षण, भरण–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता एवं पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक घोषित किया जाकर प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा। ऐसे बाल हितग्राही को योजना के तहत् प्रदाय मासिक आर्थिक एवं मासिक राशन की पात्रता नही होगी, किंतु बाल देखरेख संस्थाओं में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर निर्मुक्त होने वाले बच्चों को वे समस्त सहायता दी जाएगी जिसका इस् योजना में प्रावधान है।

7. अन्य प्रावधान

7.1 आवेदन की प्रक्रिया –

योजना अंतर्गत सभी आवेदन, दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क होगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उनसे संपर्क कर पोर्टल पर आवेदन भरवाएं। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिये जाएंगे।

7.2 पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही जिला कलेक्टर के लॉगिन से होगी। प्रकरणों की स्वीकृति /अनुमोदन जिला स्तर पर गठित निम्नानुसार समिति द्वारा की जाएगीः–

(1) जिला कलेक्टर – अध्यक्ष

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत – सदस्य

(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सदस्य

(4) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास – सदस्य–सचिव

(5) उपसंचालक सामाजिक न्याय – सदस्य

(6) जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य

7.3 आदेश :– योजना के तहत् गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात सहायता प्रदान करने के आदेश समिति के सदस्य–सचिव के द्वारा जारी किये जाएंगे।

8. 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन – 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

9. शासन की अन्य योजनाओं का लाभ – मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा।

10. बजट – योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया एवं पोर्टल के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

11. निगरानी एवं मूल्यांकन – महिला एवं बाल विकास द्वारा की जाएगी।

12. नोडल विभाग –योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

–*–

शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2021 / 3039 भोपाल, दिनांक 01.06.21

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिलें म.प्र.

विषयः—शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2021—22 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एव कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के संबंध में।

म.प्र. शासन, महिला एव बाल विकास विभाग के आदेश क्र 1373 / 2021 / 50—02 भोपाल दिनांक 21 05 2021 के द्वारा कोविड—19 से माता—पिता / अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा आर्थिक सहायता तथा खादय सूरक्षा के लिए "मुख्यमत्री कोविड—19 बाल कल्याण योजना" स्वीकृत की गयी है। उक्त योजना मे अन्य बिन्दुओं के साथ—साथ बाल हितग्राही को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों मे निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान की सुविधा का भी लेख है।

योजना के लाभ हेतु इसमें आवेदन करने के लिए एक पृथक से पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in निर्मित किया गया है और कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पश्चात सहायता प्राप्त करने का आदेश समिति के सदस्य सचिव (जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग) के द्वारा जारी किये जाने की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2021—22 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों मे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा रही है और "मुख्यमंत्री कोविड—19 बाल कल्याण योजना" के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्र हितग्राहियों के कई प्रकरण निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन होगें। अत आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् मूल दस्तावेजों से सत्यापन के समय ऐसे आवेदकों से माता—पिता / अभिभावक की मृत्यु का प्रमाण—पत्र एवं covidbalkalyan.mp.gov.in पोर्टल पर दर्ज पजीयन क्र मान्य होगा, परतु लाटरी उपरांत स्कूल में वास्तविक रूप से प्रवेश के समय कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव मे प्रवेश हेतु उक्त आवेदन मान्य नही होगा।

कृपया जिले मे "मुख्यमत्री कोविड—19 बाल कल्याण योजना" हितग्राहियो को एव सत्यापनकर्ता अधिकारियों को उक्तानुसार जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें।

(धनराजू एस) 1/06/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, दिनांक 01.06.21

पृ0 क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2021 / 3040
प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, विध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र.।
4. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ एव पालनार्थ।
5. विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक समस्त जनपद शिक्षा केन्द्र म.प्र. की ओर सूचनार्थ एव पालनार्थ।

01/06/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र